दिनांक 30 जनवरी, 2021

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

दिनांक 30 जनवरी, 2021 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2021 से यूनाइटेड किंगडम (यूके में पाई गई नई प्रजाति के सार्स-कोव-2 वायरस के संदर्भ में) से भारत आने वाली सीमित (निलंबित) उड़ानों की बहाली पर मानक संचालन प्रक्रिया की वैधता का विस्तार।

परिचय

यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को अपने यहां एक नई प्रजाति के सार्स-कोव-2 वायरस [परीक्षण के अधीन प्रजाति (यूवीआई)-20212/01] के बारे में सूचित किया है। दिनांक 19 जनवरी, 2021 तक मीडिया और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यूके के अलावा साठ अन्य देशों से सार्स- कोव-2 वायरस के मामले सामने आये हैं।

विस्तार (कार्यक्षेत्र)

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम में पाए गए सार्स-कोव-2 वायरस के नए संस्करण के संदर्भ में महामारी विज्ञान निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 22 दिसंबर, 2020 को जारी की थी। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में पिछले चार हफ्तों (25 नवंबर से 23 दिसंबर, 2020 तक) उन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, जो ब्रिटेन से यात्रा या पारगमन कर चुके हैं, उनके प्रवेश के स्थान पर या समुदाय में आने पर उनके क्रियाकलापों का विवरण शामिल है। स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के परामर्श से यूके/ब्रिटेन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं की बहाली के संबंध में स्थिति की समीक्षा की थी। इसमें दिनांक 8 जनवरी, 2021 से यूके से सीमित उड़ान कनेक्टिविटी की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए उड़ानों की आवाजाही की अनुमति देकर और 14 फरवरी, 2021 तक इन परिचालनों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार यह मानक परिचालन प्रक्रिया दिनांक 14 फरवरी, 2021 (23:59 बजे आईएसटी) या आगे के आदेश जो भी पहले हो, तक मान्य होगी।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर की जाने वाली कार्रवाई

1. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) पात्र एयरलाइनों को भारत और ब्रिटेन (नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार) के बीच सीमित संख्या में उड़ान संचालन के लिए आवश्यक अनुमति जारी करेगा। डीजीसीए परीक्षण प्रोटोकॉल के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने पर किसी भी भीड़-भाड़ से बचने के लिए निर्धारित उड़ानों के बीच पर्याप्त अंतर सुनिश्चित करेगा। डीजीसीए इस बात की भी कड़ाई से निगरानी करेगा कि एयरलाइंस किसी भी यात्री को तीसरे देश के ट्रांजिट एयरपोर्ट के जरिए ब्रिटेन से भारत की यात्रा करने की अनुमति न दे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि उन यात्रियों की निगरानी में कोई चूक न हों।

2. ऊपर विस्तार से वर्णित गतिविधयों के अनुसार समस्त अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को मौजूदा प्रक्रिया के तहत उनकी यात्रा का इतिहास (पिछले चौदह दिनों) की घोषणा करनी होगी और कोविड-19 परीक्षण में नकरात्मक परिणाम के स्व घोषणा फार्म को भरने की आवश्यकता होगी।

3. दिनांक 14 फरवरी, 2021 तक यूके से आने वाले सभी यात्रियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:

□. समस्त यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर स्व-घोषणा पत्र जमा करना चाहिए।

□. यूके से आने वाले सभी यात्रियों को नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट ले जानी चाहिए जिसके लिए यात्रा शुरू करने से पहले बहत्तर घंटे के भीतर परीक्षण किया गया हों। इसे भी ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर अपलोड किया जाएगा।

□. एयरलाइंस को यात्रियों के लिए उड़ान में सवार होने की अनुमति देने से पहले नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

□. संबंधित एयरलाइनें यह सुनिश्चित करेंगी कि चेक-इन से पहले, यात्री को इस एसओपी विशेषकर इस एसओपी की धारा 3, उप-खंड (4) के बारे में बताया जाएगा, इसके अलावा हवाई अड्डों के प्रतीक्षा क्षेत्रों में भी इसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

□. यात्रियों को संबंधित सूचनाएं समझाते हुए इन-फ्लाइट की घोषणाएं भी की जानी चाहिए। इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी आगमन क्षेत्र और आगमन के हवाई अड्डों के प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

□. सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यूके से आने वाले सभी यात्रियों का भारतीय हवाई अड्डों (प्रवेश बंदरगाह) पर आगमन के बाद स्व-भुगतान आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

□. आरटी-पीसीआर परीक्षण के साथ-साथ परीक्षण परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा इयरपोर्ट पर प्रभावी पृथक स्थान की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी

□. संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध है, कि वे एसओपी के कार्यान्वयन को सुगम बनाए के लिए संबंधित हवाई अड्डों पर सहायता डेस्क स्थापित करेगें।

□. सकारात्मक परीक्षण यात्रियों को संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा समन्वित पृथक (अलगाव) इकाई के तहत संस्थागत अलगाव सुविधा केंद्र में अलग रखा जाएगा। वे इस तरह के अलग रखें और उपचार के लिए विशिष्ट सुविधाएं निर्धारित करेंगे और सकारात्मक नमूनों को भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

क) यदि अनुक्रमण की सूचना देश में संचारित वर्तमान सार्स-कोव-2 वायरस जीनोम के अनुरूप है; तो मामले की गंभीरता के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के स्तर पर गृह अलगाव (होम आइसोलेशन)/उपचार सहित प्रचलित (चलायमान) उपचार प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

ख) यदि जीनोमिक अनुक्रमण सार्स-कोव-2 के नए प्रकार की उपस्थिति को इंगित करता है, तो रोगी को पृथक अलगाव इकाई (आइसोलेशन यूनिट) में रखा जाएगा और उपस्थित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक उपचार दिया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण होने के बाद रोगी का परीक्षण चौदहवें दिन किया जाएगा। रोगी का परीक्षण में नकारात्मक नमूना होने तक उसे अलगाव सुविधा केंद्र (आइसोलेशन फैसिलिटी) में रखा जाएगा।

□. जिन लोगों का हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर परीक्षण नकारात्मक पाया जाता हैं, उन्हें चौदह दिनों के लिए होम क्वारंटाइन (घर संगरोध) की सलाह दी जाएगी और नियमित रूप से संबंधित राज्य/जिला आईडीएसपी द्वारा उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी।

. उक्त अवधि के लिए भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई हवाईअड्डों पर ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों का राज्य-वार यात्री विवरण, आव्रजन ब्यूरो द्वारा राज्य सरकारों/एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) [idsp-npo@nic.in और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए नामित ई-मेल] को सूचित किया जाएगा ताकि यह डेटा निगरानी टीमों को प्रदान किया जा सकें। आव्रजन ब्यूरो के माध्यम प्रदत्त डेटा 'एयर सुविधा' पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन स्व-घोषणा प्रपत्रों से अतिरिक्त (अनुपूरक) होगा।

. उन यात्रियों के सभी संपर्क जो कि दिनांक 14 फरवरी, 2021 तक विभिन्न हवाई अड्डों पर पहुंचे और हवाई यात्रा के दौरान आगमन पर सकारात्मक परीक्षण पाए गए, उन्हें पृथक क्वारंटाइन (संगरोध) केंद्रों में संस्थागत क्वारंटाइन के भीतर रखा जाएगा और उनका आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण किया जाएगा (या पहले यदि यात्री कोविड-19 के विचारोत्तेजक लक्षण विकसित करता है)। संपर्क सकारात्मक परीक्षण का आगे पालन किया जाएगा जैसा कि उपधारा/क्लॉज (झ) में उल्लेख किया गया है। (*संदिग्ध मामले के संपर्कों में साथ बैठे (एक ही पंक्ति में) सह-यात्री हैं, सामने की तीन पंक्तियों में बैठे यात्री और चिंहित केबिन क्रू सहित पीछे की तीन पंक्तियों पर बैठे यात्रियों का परीक्षण किया जाएगा)

. सकारात्मक परीक्षण वाले यात्रियों के समस्त सामुदायिक संपर्कों को चौदह दिनों तक पृथक संगरोध केंद्रों में संस्थागत क्वारंटाइ के भीतर रखा जाएगा और उनका आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।

. इस एसओपी के दायरे में आने वाले किसी भी यात्री के बारे में सूचना, जो कि दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, को तत्काल संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। यदि किसी यात्री का शुरूआत में या किसी भी अवधि के दौरान पता लगाना संभव नहीं है, तो इसके बारे जिला निगरानी अधिकारी द्वारा आईडीएसपी की केंद्रीय निगरानी इकाई को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।